भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3554

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुदरा विक्रेताओं को ई-कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा

3554. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 100 मिलियन से अधिक छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया है, जो प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों आदि से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार मॉडल छोटे खुदरा विक्रेताओं को प्रभावित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे व्यापार मॉडल को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार, छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ई-कॉमर्स उद्यमियों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं।

छोटे खुदरा व्यापारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं-

i. एक वर्ष में 20 लाख रुपए तक की सेवाओं हेतु अंतरा-राज्यीय और अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए किसी जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए 10 लाख रुपए)।

ii. एक वर्ष में 40 लाख रुपए तक की वस्तुओं की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति के लिए किसी जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 20 लाख रुपए)।

iii. वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता छोटे व्यापारियों के लिए, कम्पोजिशन स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के तहत, 1.5 करोड़ रुपए (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 75 लाख रुपए) तक का कारोबार करने वाले व्यक्ति को अपने कारोबार के संबंध में 1% (वस्तु के आपूर्तिकर्ता के मामले में) या 5% (रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में) के बराबर जीएसटी का भुगतान करना होगा और जीएसटी के तिमाही-वार भुगतान सहित वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। ऐसे करदाताओं को विस्तृत खाते और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है और मासिक विवरण

तथा रिटर्न के बदले, उन्हें तिमाही-वार चालान और वार्षिक आधार पर केवल एक रिटर्न दाखिल करना होगा।

iv. सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी कम्पोजिशन स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के तहत, 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए 6% के बराबर जीएसटी का भुगतान करना होता है और जीएसटी के तिमाही-वार भुगतान सहित वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है।

v. तिमाही-वार रिटर्न दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को मासिक रिटर्न के बदले तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत, ऐसे करदाताओं के लिए जीएसटी के तहत निर्धारित अनुपालनों की मात्रा काफी कम है। करदाता तिमाही के पहले दो महीनों में इनवॉइस फाइलिंग सुविधा (आईएफएफ) के माध्यम से चयनित बी2बी (बिजनेस टु बिजनेस) चालान अपलोड करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो प्राप्तकर्ता को ऐसी आपूर्ति पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ऐसे क्यूआरएमपी करदाताओं पर, तिमाही के पहले दो महीनों में, जीएसटी के भुगतान में विलंब होने पर कोई विलंब शुल्क लागू नहीं है।

vi. एसएमएस के माध्यम से प्रपत्र जीएसटीआर-3बी में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रकार की सुविधा प्रपत्र जीएसटीआर-1 और प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।

vii. छोटे जीएसटी करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले करदाताओं को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9/9ए में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट प्रदान की गई है।

viii. छोटे जीएसटी करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल की आपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करने और माल की अंतरा-राज्यीय ऑफ़लाइन और ऑनलाइन आपूर्ति में समानता लाने के लिए ईसीओ के माध्यम से माल की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से दिनांक 01.10.2023 से सशर्त छूट प्रदान की गई है। कंपोजिशन करदाताओं को दिनांक 01.10.2023 से कुछ शर्तों के अध्यधीन ईसीओ के माध्यम से अंतरा-राज्यीय आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसने छोटे करदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त किए बिना अपने माल की बिक्री के लिए बड़ा ई-कॉमर्स बाजार खोल दिया है, जो छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देगा।

ix. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किसी प्रभावशाली उद्यम या समूह द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य लगाना निषिद्ध है। उक्त अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), किसी पीड़ित पक्षकार की शिकायत के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण सहित प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों के मामलों पर निर्णय लेता है।

x. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी, ई-कॉमर्स को और अधिक समावेशी बनाता है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा प्रशासित होने के बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। यह ऐसे छोटे खुदरा विक्रेताओं और वितरकों द्वारा डिजिटल साधनों को आसानी से अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर मौजूद नहीं हैं।

(ग) और (घ) : ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यवसाय को देश के कानूनों के अनुपालन में प्रचालित किया जाना आवश्यक है। ई-कॉमर्स क्षेत्र एक व्यापक विधायी फ्रेमवर्क द्वारा प्रशासित है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 आदि। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

डीपीआईआईटी के दिनांक 29 मार्च, 2016 के प्रेस नोट 3 में, ई-कॉमर्स के संबंध में, एफडीआई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। ई-कॉमर्स के संबंध में, एफडीआई नीति पर और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, डीपीआईआईटी द्वारा 26 दिसंबर, 2018 को प्रेस नोट 2(2018) जारी किया गया था। प्रेस नोट 2(2018) के खंड (ix) में यह निर्धारित किया गया है कि मार्केटप्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और समानता के आधार पर अवसर प्रदान करना जारी रखेंगी। सेवाएं, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कंपनियों या अन्य कंपनियों द्वारा, जिनमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कंपनियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी या उन पर सामान्य नियंत्रण करना शामिल है, प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को उचित नियमों का पालन करते हुए और निष्पक्ष एवं गैर-भेदभावपूर्ण रूप से प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, विज्ञापन/विपणन, भुगतान, वित्तपोषण आदि शामिल होंगे, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। क्रेताओं को मार्केटप्लेस कंपनियों की ग्रुप कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए कैश बैक, निष्पक्ष और गैर-भेदभाव पूर्ण होंगे। इस खंड के उद्देश्यों के लिए, किसी विक्रेता को ऐसी शर्तों पर सेवाएं प्रदान करना जो समान परिस्थितियों में अन्य विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, अनुचित और भेदभावपूर्ण मानी जाएंगी। एफडीआई विनियमों का कोई भी उल्लंघन फेमा, 1999 के दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत आता है। आरबीआई, फेमा का प्रशासन करता है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फेमा के तहत, प्रवर्तन कार्रवाई करने वाला प्राधिकरण है।

*****